

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० 284

दिनांक- 24-05-2018

:: निर्णय ::

प्रार्थी श्री बोला पिं काला

जति मौजा उमर नं० धुमशीया तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक
अवलोकन डूंगरपुर दिनांक 24-05-18 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
111, 128 ले०२०एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा धुमशीया पंचायत समिति डूंगरपुर
में स्थित खाता संख्या 58 पर आराजी नं० 681 कुल — बीघा
7 बिस्वा किता 1 योग रकबा 7 बिस्वा पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि
काश्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद
होता है। करते हैं और लड़ाई झगडा करते हैं। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर
पत्थरगढी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के
साथ अप्रार्थी दादू पिं बगाम नं० धुमशीया ने भी पत्थरगढी करने की सहमति दी है।
प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम धुमशीया के खसरा नं० 680 रकबा —
बीघा 18 बिस्वा कुल किता 1 योग रकबा 10 बिस्वा की जमाबंदी सम्वत् 2069-72
की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी
प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार हैं और विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का
कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा धुमशीया में स्थित
खाता संख्या 58 पर आराजी नं० 681 रकबा 7 बिस्वा कुल किता 1
कुल रकबा 7 बिस्वा की पत्थर गढी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा धुमशीया में स्थित खाता संख्या 58 पर आराजी नं० 681
रकबा 7 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 7 बिस्वा की पत्थरगढी
किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदा, डूंगरपुर भू०अ० निरीक्षक सिंहा के नैतृत्व में टीम
गठित कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गढी की जावे। तहसीलदार,
डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगढी शुल्क रू० 700/- प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा करावे
तभी पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैंसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

डूंगरपुर